

समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

पत्रांक 04-1136 आ0
दिनांक 01/10/2018
ई-मेल - dm-buxar.bih@nic.com



फोन नं०-(06183)222335(R),222336(O)
मो० नं०- 8544426112
ई-मेल - dsobuxar1@gmail.com

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बक्सर/डुमरौव।

विषय :-

मुख्य शीर्ष 3456 सिविलपूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00 लघुशीर्ष 198 ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0101 सर्तकता तथा निगरानी हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता, हेतु विपत्र कोड संख्या-18-3456001980101, के विषयशीर्ष 0101 1306 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में प्राप्त आवंटन का उपावंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

प्रसंग :-

सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक प्र05(2)बजट-(गै0यो0)-33/2008-02 (बजट)/खाद्य, पटना-15 दिनांक 29-08-2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अधीन आवश्यक वस्तुओं के उठाव एवं वितरण की निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु गठित ग्राम पंचायत स्तरीय समिति के गैर सरकारी सदस्यों के बैठक में भाग लेने हेतु बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि को वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 354/वि0 दिनांक 28.03.2018 तथा पत्रांक 3244/वि0 दिनांक 04.05.2018 में निहित निदेश के आलोक में संलग्न तालिका के अनुसार कुल 1256700.00 (बारह लाख छपन्न हजार सात सौ रूपया) मात्र को उपावंटित करते हुए व्यय की अनुमति दी जाती है :-

क्र 0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	मुख्यशीर्ष	लघुशीर्ष	विषयशीर्ष	उपशीर्ष	उपावंटित राशि
1	अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर	3456	198	0101 13 06 सहायक अनुदान गैर वेतन	0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों के बैठक में भाग लेने के लिए बैठक एवं यात्रा भत्ता	502680.00
2	अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरौव	3456	198	0101 13 06 सहायक अनुदान गैर वेतन	0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों के बैठक में भाग लेने के लिए बैठक एवं यात्रा भत्ता	754020.00
					कुल राशि	1256700.00

- यह राशि मुख्यशीर्ष 3456, सिविलपूर्ति, उपमुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 192 ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समितिके गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता है, जो विपत्र कोड संख्या-18-3456001920101, के विषयशीर्ष 0101 1306 सहायक अनुदान गैर वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में विकलनीय होगी।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जाएगी।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि निकासी की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

R. Singh
30/08/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

- ज्ञापांक 04-1136 आ0 बक्सर, दिनांक 01 / 10 / 2018
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर/आई0 टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/डुमरौव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को पत्रांक प्र05(2)बजट-(गै0यो0)-33 / 2008-02(बजट)/खाद्य, पटना, दिनांक 29-08-2018 के आलोक में सादर सूचनार्थ समर्पित।

R. Singh
30/08/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।